

मूल वाद में फाइनल डिक्री

(आदेश 20 नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा (राज.)

हरिराम पुत्र स्व0 गंगाबिशन जाति गुर्जर बनाम
निवासी पत्थरमंडी रामनगर जिला कोटा
-वादी

1. धनपाल पुत्र श्री गंगाबिशन जाति गुर्जर
2. धर्मराज पुत्र श्री लटूर
3. नंदकंवर पत्नी स्व0 लटूर
4. निर्मला पुत्री लटूर
5. महावीर पुत्र लटूर
6. रूकमा बाई पत्नी हीरा जातियान गुर्जर निवासी पत्थरमंडी रामनगर तहसील लाडपुरा जिला कोटा
7. सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा।

-प्रतिवादीगण

--: वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955:--

मुकद्मा नं. 114/2025 (दावा)

वाद में आज तारीख को डिक्रीदार के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर तहसीलदार लाडपुरा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार ग्राम शंभूपुरा प0हल्का गिरधरपुरा की आराजी ख0न0 281 रकबा 0.62 हे0, ख0न0 92 रकबा 1.09 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.7100 है0 भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार फाइनल अर्थात् अन्तिम डिक्री जारी की जाकर भूमि विभाजित की जाती है-

नाम खातेदार	ख0 नं0	रकबा	दिशा
हरिराम पुत्र गंगाबिशन जाति गुर्जर सा0 देह	92	0.44 है0	दक्षिण
	281	0.25 है0	दक्षिण
	किता 2	0.69 है0	
1. धनपाल पुत्र श्री गंगाबिशन हि0 1/3 2. धर्मराज पुत्र श्री लटूर हि0 1/12 3. नंदकंवर पत्नी स्व0 लटूर हि0 1/12 4. निर्मला पुत्री लटूर हि0 1/12 5. महावीर पुत्र लटूर हि0 1/12 6. रूकमा बाई पत्नी हीरा हि0 1/3	92	0.65 है0	उत्तर
	281	0.37 है0	उत्तर
	किता 2	1.02 है0	

वाद के खर्चे लेखे ... X ...रुपये की राशि, आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर... X ...प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से व्याज सहित Xद्वारा Xको दी जाए।

यह डिक्री आज तारीख 20 माह 05 सन् 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

वाद के खर्चे

वादी	रुपये	प्रतिवादी	रुपये
1. वादपत्र के लिये स्टाम्प 2. शक्तिपत्र के लिये स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिये स्टाम्प 4.रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिये निर्वाह व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामील		शक्तिपत्र के लिये स्टाम्प अर्जी के लिये स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिये निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	

उपखण्ड अधिकारी
कोटा